न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 23 वर्ष 2023

आवेदक– गुलाबचन्द किस्कू
ग्राम – पतकी टोला झावाटोला
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

केता –इन्द्रदेव हेम्ब्रम
ग्राम– पतकी टोला भोलगढा
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

23/06/23

आदेश

यह वाद गुलाबचन्द किस्कू पिता स्व खिड़ू मॉझी निवासी ग्राम पतकी टोला–झावाटोला थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पतकी	07	25	854	85 डी0	05 डी0	आ0 योग्य

को वे अपना ईलाज हेतु 78000/–केता इन्द्रदेव हेम्ब्रम पिता महेश्वर हेम्ब्रम निवासी ग्राम पतकी टोला भोलगढा थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 565/रा0 दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 576 दिनांक 19.06.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं केता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों ग्राम पतकी टोला भोलगढा एवं दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में शुखुआ मॉझी वल्द लोधेहा मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबंदी भोगला मॉझी के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ सं0 93/14 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत से बिकेता का छरदादा–पोता का संबंध है। बिक्री वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज शुखुआ मॉझी के नाम से सर्वेखतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी भोगला मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री जमीन उसके

हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैंः–

01. बिकेता– शुखुआ मॉझी वल्द लोधेहा मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, भोगला मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. केता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एवं केता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे बेचना चाहते हैं।

अतः गुलाबचन्द किस्कू पिता स्व खिडू मॉझी निवासी ग्राम पतकी टोला–झावाटोला थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा .
पतकी	25	854	85 डी0	05 डी0	उर्मिला देवी	रास्ता	नीज लेख्यकारी	नीज लेख्यकारी
कुल 05 (पॉच) डिसमिल जमीन मात्र।								

को मो0 रूपये 78000/– (अठहत्तर हजार) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– इन्द्रदेव हेम्ब्रम पिता महेश्वर हेम्ब्रम निवासी ग्राम पतकी टोला भोलगढा थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संषोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.24 14:17:37 +05:30
Location: 192.168.126.43